न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री सुमेरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–मण्डार, तहसील– रेवदर

बनाम

प्रत्यर्थी

1.राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, मण्डार, जिला– सिरोही
2.ग्राम पंचायत, मण्डार जरिये ग्राम विकास अधिकारी, तह. रेवदर, जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 34/2021

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह आढ़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी उप तहसीलदार, मण्डार की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 31 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा प्रकरण संख्या 342/2017 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2017 बाबत ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 1861 रकबा 40 बीघा किस्म गोचर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी उप तहसीलदार, मण्डार की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। जबकि अपील की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई तिथि 03.8.2021 व 28.9.2021 को प्रत्यर्थी ग्राम पंचायत, मण्डार की ओर से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार उपस्थित हुये। उसके बाद प्रत्यर्थी ग्राम पंचायत, मण्डार की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) प्रकरण में बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सही ढंग से अवलोकन नही किया है। यह कि अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय श्री तेजसिंह जी भूतपूर्व सिरोही रियासत के महाराजा थे और जागीर अधिग्रहण के समय उनके पिता को पूर्व महाराजा की श्रेणी में मानते हुए ग्राम मण्डार में अलग अलग खसरा एवं आबादी भूमि को निजी सम्पति के रुप में अतिरिक्त जा[illegible] द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाया था और उक्त सम्पति पर वर्तमान [illegible] का अपने पिता के जरिये कब्जा होकर उसका उपयोग व [illegible] अपीलार्थी के पिता के नाम से

....पेज नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:12 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम खतौनी जजमाबंदी में खाता संख्या 726 राजा साहब श्री तेजसिंह गवैराह के नाम से खातेदारी दर्ज थी। उक्त सभी तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करके अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। खसरा संख्या 1861 पर अपीलार्थी का देश की आजादी से पूर्व का कब्जा है और वह उस पर काबिज काश्त होकर निवास कर रहे है व मौके पर रहवासी मकान भी बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जो नोटिस प्रेषित किया था वह अपीलार्थी को तामिल नही हुआ है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस तामिल करवाये बिना ही एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। यह कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत, मण्डार के नाम से राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से खातेदारी भूमि दर्ज हुई, जबकि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का करीब 70 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त होकर बतौर स्वामी उपयोग व उपभोग प्रत्यर्थीगण की जानकारी में करता आ रहा है। यदि विवादित भूमि के मौके से अपीलार्थी को बेदखल किया जाता है तो अपीलार्थी के साथ अन्याय, होगा। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निणर्य दिनांक 05.12.2017 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्रामसेवक पदेन सचिव (वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी), ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में खसरा संख्या 1861 रकबा 40 बीघा किस्म गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, अतः अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्रामसेवक पदेन सचिव (वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी), ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार में अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 1861 रकबा 40 बीघा किस्म गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई तिथि 05.12.2017 का जारी नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 1861 रकबा 40 बीघा किस्म गोचर भूमि अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:12 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर. खोड़)

अति. जिला कलेक्टर, सिरोही